



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)
Tel: 0755-2464428, 2466191 Fax: 0755-2463742

क्रमांक/
प्रति,

/मुप्रनिबो/मॉनि.शा./2018

भोपाल, दिनांक

आयुक्त,
नगरीय विकास,
म.प्र. शासन,
भोपाल- (म.प्र.)

विषय:- गणेश/दुर्गा विसर्जन के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यवाही करने बाबत।

विषयान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मूर्ति विसर्जन की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। यह मार्गदर्शिका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट www.cpcb.nic.in तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

कृपया मार्गदर्शिका के अनुरूप ही गणेश व दुर्गा उत्सव के दौरान सभी कार्यवाहियों संपादित की जाये, जिसमें प्रमुख रूप से मूर्ति के निर्माण में पी.ओ.पी. का इस्तेमाल न किया जाना, मूर्तियों का विसर्जन नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल/कुण्डों में किया जाना एवं विसर्जन पश्चात् ठोस अपशिष्टों को मार्गदर्शिका में बताये अनुसार निर्धारित स्थल पर ही अपवहित किया जाना प्रमुख है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर पंचायत के माध्यम से मार्गदर्शिका अनुरूप संपादित कराये जाने का अनुरोध है।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक

01/08/18

पृ.कं / 208 / मुप्रनिबो/मॉनि.शा./2017

प्रतिलिपि:

1

अधीक्षण यंत्री, (जनसम्पर्क) जनसम्पर्क शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2

डायरेक्टर (प्रभारी आई.टी शाखा) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर पत्र की प्रति बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

3

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर अपने कार्यक्षेत्र के नगर निगम/ नगर पंचायतों को मूर्ति विसर्जन स्थल चिन्हित कर मार्गदर्शिका के अनुरूप विसर्जन संपादित करने एवं साथ ही जन- जागृति हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत।

EE (IT)

2/8/18

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)
Tel: 0755-2464428,2466191 Fax: 0755-2463742

क्रमांक/
प्रति,

/मुप्रनिबो/मौनि.शा./2018


भोपाल, दिनांक

समस्त जिलाध्यक्ष,
जिलाध्यक्ष कार्यालय,
..... (म.प्र.)

विषय:- गणेश/दुर्गा विसर्जन के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यवाही करने बाबत।

विषयान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मूर्ति विराजन की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है, यह मार्गदर्शिका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट www.cpcb.nic.in तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

कृपया मार्गदर्शिका के अनुरूप ही गणेश व दुर्गा उत्सव के दौरान सभी कार्यवाहियाँ संपादित की जाये, जिसमें प्रमुख रूप से मूर्ति के निर्माण में पी.ओ.पी. का इस्तेमाल न किया जाना, मूर्तियों का विसर्जन नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल/कुण्डों में किया जाना एवं विसर्जन पश्चात् ठोस अपशिष्टों को मार्गदर्शिका में बताये अनुसार निर्धारित स्थल पर ही अपवहित किया जाना प्रमुख है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर पंचायत के माध्यम से मार्गदर्शिका अनुरूप संपादित कराये जाने का अनुरोध है।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 01/08/18

प्र.क्रं / 206 / मुप्रनिबो / मौनि.शा. / 2018

प्रतिलिपि:-

1

अधीक्षण यंत्री, (जनसम्पर्क) जनसम्पर्क शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


2

डायरेक्टर (प्रभारी आई.टी. शाखा) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर पत्र की प्रति बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

3.

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर अपने कार्यक्षेत्र के नगर निगम/ नगर पंचायतों को मूर्ति विसर्जन स्थल चिन्हित कर मार्गदर्शिका के अनुरूप विसर्जन संपादित करने एवं साथ ही जन-जागृति हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत।

EE (IT)
28


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव